(वाद संख्या–**3509/17**)

14.11.2019

प्रसंगाधीन मामला हरियाणा प्रदेश चमार संघर्ष समिति के अध्यक्ष, श्री रामधन, अधिवक्ता के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली में दिये गये परिवाद–पत्र से संबंधित है, जिसमें उनके द्वारा सूचित किया गया है कि दिनांक–10.12.2016 के ''दैनिक भाष्कर'' नामक समाचार–पत्र में इस आशय की सूचना प्रकाशित हुई है कि सरकार द्वारा भूमिहीनों को आवंटित भूमि से संबंधित मामले में जब समाहरणालय, भागलपुर में भूमिहीनों का प्रदर्शन हो रहा था, उसी क्रम में पुलिस पदाधिकारियों द्वारा प्रदर्शनकारी भूमिहीनों, जिनमें महिलाएं भी शामिल थीं, के साथ बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की गयी, जिससे महिला प्रदर्शनकारियों सहित कई प्रदर्शनकारी जख्मी हो गये।

उक्त के संबंध में वरीय पुलिस अधीक्षक, भागलपुर से प्रतिवेदन की मांग की गयी। वरीय पुलिस अधीक्षक, भागलपुर द्वारा आयोग में समर्पित प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि दिनांक–08.12.2016 को भागलपुर समाहरणालय परिसर में भूमिहीनों को भूमि दिलाने एवं दिये गये भूमि पर पर्चा धारियों को कब्जा दिलाने हेतु जिलाधिकारी, भागलपुर कार्यालय के उत्तर द्वार पर आमरण अनशन का आयोजन किया गया था। इस दौरान प्रदर्शनकारी उग्र हो गये तथा जिला पदाधिकारी, भागलपुर के गाड़ी को छतिग्रस्त कर दिया गया एवं उनके कार्यालय में घुसने का प्रयास करने लगे, जिसमें पुलिस कर्मियों द्वारा उन्हें खदेड़ने हेतु बल प्रयोग किया गया। इस बल प्रयोग में प्रदर्शनकारियों में भगदड़ मच गयी तथा वे लोग उत्तरी द्वार की ओर भागने लगे, जहां पहले से कुछ महिलाएं बैठी थीं। भगदड़ के कारण वहाँ बैठी कुछ महिलाएं घायल हो गयी। प्रदर्शनकारी द्वारा पुलिस कर्मियों पर ईंट से पथराव भी किया जा रहा था, स्थिति नियंत्रण में आने पर सभी जख्मियों को उपचार के लिए स्थानीय अस्पताल ले जाया गया तथा प्रति–नियुक्त दण्डाधिकारी के लिखित आवेदन के आधार पर 23 नामांकित एवं अन्य 300 अज्ञात पुरूष/महिला के विरूद्ध भा0द0स0 की धाराओं, 147/ 148/ 149/ 353/ 354/ 332/ 333/ 427/120बी. के अन्तर्गत कोतवाली (आदमपुर) थाना कांड सं0–686/16, दिनांक–08.12.2016 संस्थित किया गया जो वर्तमान में अनुसंधानान्तर्गत है।

वरीय पुलिस अधीक्षक, भागलपुर ने अपने प्रतिवेदन में यह भी प्रतिवेदित किया है कि परिवादी श्री रामधन द्वारा ''दैनिक भाष्कर'' समाचार–पत्र के दिनांक–10.12.2016 के अंक में प्रसंगाधीन कांड से संबंधित जो फोटो संलग्न किया गया है उनमें वे महिलाएं मूलतः भगदड़ में घायल हुई महिलायें थी, जिन्हें उपचार के लिए स्थानीय अस्पताल जे0एय0एम0एन0सी0एच0 भेजा गया।

परिवादी के अपने परिवाद–पत्र के साथ संलग्न समाचार–पत्र वाले फोटो से यह प्रतीत हो रहा है कि पुलिस कर्मियों द्वारा निहत्थे प्रदर्शनकारी महिलाओं पर लाठी व पैर से मार–पीट की जा रही है जिसे किसी भी तरह से उचित नहीं माना जा सकता है तथा पुलिस प्रतिवेदन के अनुसार भगदड़ में महिलाओं को जख्मी होने की बात सही प्रतीत नहीं होती है।

प्रदर्शनकारियों को रोकने/नियंत्रित करने हेतु पुलिस को कई शक्तियाँ प्राप्त है जिसका पुलिस द्वारा ऐसे मामले में परिस्थिति के आधार पर प्रयोग करना चाहिए। **निहत्थे महिलाओं को लाठी व पैर से मारना पूर्णतः अस्वीकार्य है।**

वरीय पुलिस अधीक्षक, भागलपुर से अनुरोध है कि इस संबंध में अपने अधीनस्थ समस्त पुलिस कर्मियों को यह निर्देशित करें कि निहत्थे महिला प्रदर्शनकारियों के प्रदर्शन को रोकने /नियंत्रित करने/ विधि–व्यवस्था संधारण के क्रम में **ऐसा कोई भी कार्य न करें जिससे उनका मानवाधिकार का उल्लंघन होता हो।**

उक्त निर्देश के आलोक में प्रसंगाधीन मामले को बंद किया जाता है।

तद्नुसार परिवादी को सूचित करते हुए आज पारित आदेश को सूचनार्थ व आवश्यक कार्रवाई हेतु वरीय पुलिस अधीक्षक, भागलपुर को भेजी जाय।

ह0/–

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
कार्यकारी अध्यक्ष

सहायक निबंधक